पत्रांकः— वन भूमि—09/2020...................../प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

कमलजीत सिंह,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक.........................

विषय :— जमुई जिलान्तर्गत NH-333 के 40 वें कि०मी० पर (बरियापुर—लक्ष्मीपुर खण्ड) RCC उच्च स्तरीय ब्रीज के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.372 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय, मुख्यालय मुंगेर द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या—921 (ई०) दिनांक—28.08.1997 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित परियोजना में 0.372 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है तथा इस परियोजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.4 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43/2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया गया है।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए रेखांकित टोपो सीट तथा गुगल अर्थ की प्रति संलग्न किया गया है।

परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्ष के पातन नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई है तथापि हरितावरण बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराने की शर्त्त अधिरोपित की गयी है जिसका तत्संबंधी प्राक्कलन संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 0.372 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,98,716/–(दो लाख अन्ठानवे हजार सांत सौ सोलह रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा फिर भी हरितावरण बनाये रखने के लिए 100 वृक्ष के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतदन दर पर जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–09/2020...................../प०व०, पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–09/2020 323(इ०)/प०व०, पटना–15, दिनांक 04/03/2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव
04/3/2020

VR S One-108